

अभिभावकों से अनुरोध है की केन्द्रीय विद्यालय मे प्रवेश हेतु पंजीकरण प्रपत्र भरने से पूर्व दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें ।

(अ) सामान्य निर्देश

1. यदि कोई अभिभावक प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र मे गलत जानकारी प्रदान करता है तो उस पंजीकरण प्रपत्र को निरस्त कर दिया जाएगा एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
2. अभिभावकगण सुनिश्चित करें की प्रपत्र मे भरे गए सभी विवरणों से संबन्धित दस्तावेजों की मूलप्रति उनके पास उपलब्ध है।
3. एक विद्यालय मे, एक और केवल एक ही प्रपत्र भरें। उसी विद्यालय की द्वितीय पाली तथा अन्य विद्यालयों मे पंजीकरण प्रपत्र भरने हेतु कोई रोक नहीं है।
4. अगर कोई अभिभावक एक बच्चे के लिए या एक से अधिक बच्चों के लिए कई विद्यालयों/पालियों मे पंजीकरण प्रपत्र भरते हैं तो निम्न सूचनाएँ एक जैसी होनी चाहिए।
 1. (क) बच्चे का नाम
 2. (ख) माता-पिता का नाम
 3. (ग) जन्म तिथि
 4. (घ) ईमेल आइ डी
 5. (ङ) मोबाइल न.
 6. (च) घर का पता
5. एक बच्चे के लिए, एक विद्यालय मे एक से अधिक पंजीकरण प्रपत्र पाये जाने पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
6. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया मे पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहने तक अभिभावकों को प्रपत्र भरने/सुधार/रद्द/जमा करने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखें।
 1. (क) एक बार पंजीकरण प्रपत्र भरकर जमा करने (submit) करने के बाद सुधार (edit) की सुविधा पंजीकरण की अंतिम तिथि तक उपलब्ध होगी।
 - 2.
 3. (ख) पूर्व मे किए गए पंजीकरण को रद्द(Cancel) करके ही पुनः पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
7. पंजीकरण प्रपत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश, प्रवेश मार्गदर्शिका (Admission Guidelines) एवं अन्य जानकारी संबन्धित विद्यालय की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है।
8. पूर्णतया भरे हुये पंजीकरण प्रपत्र की हार्ड कॉपी (Printout) प्राप्ति रसीद अपने पास रिकॉर्ड हेतू रखें । निर्धारित तिथि पर लॉटरी मे सफल होने वाले प्रत्याशियों के अभिभावक पंजीकरण प्रपत्र की हार्ड कॉपी, प्राप्ति रसीद एवं प्रमाणपत्रों की प्रति के साथ प्राचार्य के समक्ष उपस्थित हो ।
9. अभिभावक अपना ईमेल आइडी (email id) अवश्य लिखें जिससे प्रवेश संबंधी सूचना प्रदान की जा सके।
10. विस्तृत प्रवेश मार्गदर्शिका एवं नियमों की जानकारी हेतू केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वैबसाइट का प्रयोग करें।
<http://kvsangathan.nic.in> --> Admission Guidelines.
 - o कक्षा II से VIII में प्रवेश की पद्धति

क. कक्षा II से कक्षा VIII में प्रवेश के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी तथा प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली(1 से 5 या 6 मामले के अनुसार) के आधार पर दिए जाएंगे। यदि सीटों की संख्या से अधिक आवेदन हों तो प्रत्येक श्रेणी के कोटे को लॉटरी व्यवस्था से भरा जाए। कक्षा 6 और ऊपर की कक्षाओं के लिए यह प्रक्रिया इकलौती पुत्री संतान के लिए भी अपनाएँ जाए।

○ कक्षा IX में प्रवेश की पद्धति

कक्षा IX में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्राथमिकता की प्रत्येक श्रेणी के लिए योग्यताक्रम के अनुसार अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

- प्रवेश-परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों में आयोजित की जाएगी।
- प्रवेश परीक्षा के लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसकी समय अवधि 3 घंटे और अंक 100 होंगे जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक निर्धारित हैं।
- अभ्यर्थी को कुल योग के कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग(PH) के विद्यार्थी कुल योग का 25% अंक प्राप्त करने पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

11. सभी सामान्य एवं विशिष्ट निर्देश विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड एवं प्रिंट किए जा सकते हैं। यद्यपि पंजीकरण प्रपत्र भरने हेतु निम्न वेबसाइट पर लॉगिन करें (विशेष प्रावधानों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश को छोड़कर)

<http://darpan.kvs.gov.in>

12. पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

13. ऐसे प्रवेश जो की प्रवेश मार्गदर्शिका में 'विशेष प्रावधानों' के अंतर्गत आते हैं – संबन्धित विद्यालय के प्राचार्य से सीधा संपर्क कर 'ऑफलाइन' अर्थात विद्यालय से पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त कर, पूर्णतया भरकर विद्यालय में जमा कराएं एवं अन्य विद्यार्थी के साथ बच्चेसे समान ऑनलाइन पंजीकरण भी कराएं।

*विशेष प्रावधान जैसे – एकल कन्या, को कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक / ऊपर प्रवेश पाने हेतु

(ब) फार्म भरने हेतु निर्देश

(अ.) बच्चे का विवरण:

1. नाम: बड़े (कैपिटल)/ साफ अक्षरों में भरा जाये।
2. लिंग: कृपया सही विकल्प चुनिए. पुरुष/महिला/ट्रांस जेंडर।
3. श्रेणी: सामान्य /अनु. जा./ अनु जनजाति- सही विकल्प चुनिए
4. दिव्याङ्ग: कृपया सही विकल्प चुनिए. चुनने पर – पंजीकरण प्रपत्र में आवश्यक विवरण भरें।
5. जन्म तिथि: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जन्म प्रमाण पत्र की तिथि के अनुसार जन्म तिथि को अंकित करें।

(क) आयु: दिनांक 31.03.2017 को कक्षा पहली में प्रवेश के लिये आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए

|दिव्यंगो को दो वर्ष की अधिकतम आयु में छूट प्राप्त है | दिनांक 01.04. 2012 को जन्में बच्चे भी कक्षा 1 में प्रवेश के पात्र हैं| कक्षा 2 व ऊपर की कक्षाओ हेतु आयु निम्न सारिणी के अनुसार होगा।

कक्षा	न्यूनतम आयु सामान्य एवं दिव्यांग बच्चो के लिए	अधिकतम आयु सामान्य बच्चो के लिए	अधिकतम आयु सामान्य एवं दिव्यांग बच्चो के लिए
II	6	8	10
III	7	9	11
IV	8	10	12
V	9	11	13
VI	10	12	14
VII	11	13	15
VIII	12	14	16
IX	13	15	17

6. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग(EWS) : हाँ/ना चने। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र का विवरण भरे। सुविधा वंचित समूह (BPL) : हाँ/ना चुने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र का विवरण भरे।
7. रक्त समूह: (सही विकल्प चुनें)

JOBGOV.IN

(ब.) पारिवारिक विवरण:

- 8.
1. (क) प्रोजेक्ट/उच्च शिक्षण संस्थान के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में अभ्यर्थी यदि उसी प्रोजेक्ट/उच्च शिक्षण संस्थान में सेवारत/सेवानिवृत्त दादा-दादी/नाना- नानी की पात्रता का लाभ चाहता है तो अभिभावक के स्थान पर दादा-दादी/नाना- नानी का विवरण भरे।इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट के लिये [क्लिक](#) करें।
2. (ख) एकल अभिभावक – हाँ / ना सही विकल्प चुनें |
 9. राष्ट्रीयता: सही विकल्प चुनें
 10. व्यवसाय: सही विकल्प का चुनाव करें: सरकारी नियमित / सरकारी अनुबंधित / गैरसरकारी / अन्य में कार्यरत ।
 11. संगठन का नाम: जहाँ कार्यरत हैं- , संगठन का नाम लिखें एव अन्य विवरण लिखें ।
 12. सेवा श्रेणी: कृपया पवेश हेतु प्राथमिकताए केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार सेवा श्रेणी का चयन करे ।

प्रवेश में प्राथमिकताएं :

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा :

क. सिविल/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय :

1. पूर्व-सैनिकों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं।
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चों भी सम्मिलित हैं जो किसी निजी कार्य से भारत में रहते हैं। विदेशियों के मामले में तभी विचार किया जाएगा जबकि प्रतिक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो।

टिप्पणी : बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत केंद्रीय विद्यालय:-

6. (क) विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चों एवं उनके पौत्र/पौत्रियां।
(ख) प्रोजेक्ट के कर्मचारी और स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं।

(ग) वार्डन परिषद के नियमित कर्मचारियों (सीओडब्ल्यू) के बच्चों

(घ) प्रवेश के उद्देश्य से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र/पौत्रियां श्रेणी-1 में सम्मिलित किए जाएं।

7. तत्पश्चात् सिविल/रक्षा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों(पैरा-3 (क)) के लिए दी गई प्राथमिकताओं का उसी अनुक्रम से अनुसरण होगा।
8. उच्च शिक्षण संस्थानों के जो बच्चे अपने अभिभावकों के दीर्घ अवधि पर विश्रामकाल/अवकाश पर जाने के कारण स्टेशन से दूर जाने पर विद्यालय में अध्ययन जारी नहीं रख सकें उन्हें पुनः प्रवेश कक्षा की निर्धारित क्षमता के ऊपर दिया जाए।
13. निवास स्थान का पता - कृपया पिन कोड सहित पता लिखें
14. दूरभाष नंबर - कृपया लैंड लाइन न. एस.टी.डी. कोड सहित लिखें (यदि उपलब्ध है)
15. मोबाइल नंबर – कृपया अपना १० अंकों वाला मोबाइल नंबर (कोई एक)
16. कार्यालय का पता - कार्यालय का पता विस्तार पूर्वक पिन कोड सहित लिखें
17. ई मेल – कृपया अंकित करें(आवश्यक)

18. स्थानांतरण - कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान/शहरी संकुल से दूसरे स्थान/शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया है और जो स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।

19. आर. टी .ई (केवल कक्षा 1 के लिए लागू।)

आर. टी .ई के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होने पर ही इस विकल्प का चयन करें। यद्यपि केंद्रीय विद्यालय विभिन्न जनसंख्या घनत्व में अवस्थित है, पड़ोस के क्षेत्र की सीमा का निर्धारण के लिए निम्न तरह से वर्गीकृत किया गया है: -

1. प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र) 5 कि.मी. की परिधि
2. ऊपर 1 में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. की परिधि टिप्पणी:
 1. सभी आवेदकों को अपने निवास का प्रमाण देना होगा तथापि निवास प्रमाण न होने की परिस्थिति में प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता है।
 2. अभिभावकों द्वारा दूरी संबंधी लिखित स्व:घोषणा को इस आशय के लिए स्वीकार कर लिया जाए।
 - 3.

20. आधार संख्या: कृपया भरें, यदि उपलब्ध है।

21. एकल कन्या : इकलौती कन्या संतान का प्रवेश कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें माता-पिता की जुड़वा पुत्रियां व अधिकतम पुत्रियां भी सम्मिलित हैं।

- जुड़वा पुत्रियों का प्रवेश होने पर एक ही प्रवेश माना जाएगा।
- ड्रा की स्थिति आने पर जुड़वा पुत्रियों का नाम एक ही पर्ची पर लिखा जाए।
- यदि इकलौती कन्या संतान (जुड़वा पुत्रियां भी सम्मिलित) के आवेदनो की संख्या निर्धारित सीटो की संख्या (कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो) से अधिक है तो प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए। यदि किसी एक श्रेणी में अधिक आवेदन किए गए हो तो सभी आवेदनो को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाए।

नोट : (i) सभी विशेष व्यवस्था , के . वि. एस के प्रवेश निर्देशानुसार (विशेष व्यवस्था) आनलाइन के साथ ऑफलाइन भरने हेतु सम्बन्धित विधालय के प्राचार्य से संपर्क करे।

(ii) पूर्णतया भरे हुये पंजीकरण प्रपत्र की हार्ड कॉपी (Printout) प्राप्त रसीद अपने पास रिकॉर्ड हेतू रखें। निर्धारित तिथि पर लॉटरी मे सफल होने वाले प्रत्याशियों के अभिभावक पंजीकरण प्रपत्र की हार्ड कॉपी, प्राप्त रसीद एवं प्रमाणपत्रों की प्रति के साथ प्राचार्य के समक्ष उपस्थित हो।

(iii) किस भी दुविधा की स्थिति मे अग्रेजी मे दिया गए निर्देश को संदर्भ ले।